

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

फिरोज बनाम सहोद (गैर)

सम मुकदमा प्रौ.पत्र 111-120 नं. 41 सन 2020

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7-7-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल	
7-7-20	उभय पक्ष नृपतिगत पीएससी अधिकारी राजकीय कार्य में बाहर हैं / पदरिक्त हैं। अतः पत्रावली दिनांक 21-7-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
21-7-20	उभय पक्ष नृपतिगत पीएससी अधिकारी राजकीय कार्य में बाहर हैं / पदरिक्त हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
11-8-20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 25-8-20	
25-8-20	उभय पक्ष नृपतिगत पीएससी अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त हैं। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
15-9-20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली दिये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली ही गई। अप्रार्थीगण को खिन्नी मर्तवा आवाजे	

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

फिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके बिकरुड
एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते
हैं। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। बहस सुनी
गयी, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर निर्णय घुपक से लिखा जाकर शा.फ. किये
गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर भाग्यर से क्रम हो।

उपस्यण्ड अधिकारी
मंडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान -सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

रीटासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

क्रमा संख्या - 41/20 प्रा.पग

1- श्री फिरोज श. श्री अहमद बख्श मुसलमान निवासी-बुहारिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री महीपाल श. श्री अहमद बख्श मुसलमान निवासी-बुहारिया तहसील-माण्डल (दायरा)
(सूचना क्र. प्रा.पग संक्र.)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....बुहारिया.....पटवार हल्का.....बुहारिया.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2070, 2083, 2084, 2100, 2101 कुल किता.....05.....रकबा.....06 बीघा.....03.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.05.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....बुहारिया.....पटवार हल्का.....बुहारिया.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2070, 2083, 2084, 2100, 2101 कुल किता.....05.....रकबा.....06 बीघा.....03.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बुहारिया.....400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा